की दीवार पर खड़े हुए हैं और इस तरह हम किस प्रकार देश की रक्षा कर सकेंगे ।

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फख्रुद्दीन अहमद) : जब मेरा नाम लिया गया है, तो जो मैंने पटना में कहा था, बेहतर होगा उसको बाजा कर दूं । मैंने यह कहा था कि 1961 में जो सेन्सस हुआ, आबादी में एवरेज इन्क्रीज को ध्यान रखते हुए यह मालूम होता है कि 10 लाख मुसलमानों की आबादी हिन्दुस्तान में ज्यादा है और 10 लाख मुसलमानों की आबादी पाकिस्तान में कम है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है कि 4 लाख के करीब बंगाल में, 3 लाख के करीब बिहार में, ढाई लाख के करीब आसाम में और पचास हजार के करीब त्रिपुरा में । लेकिन इस से यह हम नहीं कह सकते कि बगैर पासपोर्ट डाक्यूमेन्ट लिये हुए और पासपोर्ट लिये हुए कितने पाकिस्तानी हिन्दुस्तन में हैं । उस के लिये सेन्सस करना चाहिये और उस के बाद ही हम कह सकते हैं कि कितनी इललीगल इन्फिलट्रेशन हमारे मुल्क में हुई है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : 10 लाख पाकिस्तान में कम हुए और यहां बढ़े हैं ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं श्री फखरुद्दीन को धन्यवाद देता हूं कि जो बात मैं कहना चाहता था, वह विस्तार के साथ उन्होंने बतला दी, उस से मेरे कथन की पुष्टि में मदद मिली है । मैं यह कहना चाहता था कि इस प्रकार की जिस देश की सीमाओं की स्थिति हो गई हो, उस देश के गृह मंत्री से अगर देश यह पूछे कि गृह मंत्रालय इस देश की सुरक्षा के लिये क्या कार्य कर रहा है और किस तरह से इस देश की स्वतन्त्रता की रक्षा हो सकेगी, तो क्या यह न्यायोचित न होगा मैं उम्मीद करता हूं श्री जयसुखलाल हाथी पूर्वी सीमावर्ती प्रदेशों के सम्बन्ध में ही नहीं, बल्कि राजस्थान, कच्छ, गुजरात और दूसरे जितने भी सीमावर्ती राज्य हैं, इन के सम्बन्ध में जो स्थिति गंभीर हो रही हैं, इन सब के सम्बन्ध में भी गम्भीरता से निर्णय करेंगे ।

गृह मंत्रालय का दुर्भाग्य यह है कि इस नई कैबिनेट बनने के बाद, श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रधान मंत्री बनने के बाद, गृह मंत्रालय को कौन सा सांप सूंघ गया है ? क्यों उसमें दुर्बलता आती चली जा रही है ? जो राष्ट्रीय निर्णयों पर दृढ़ता के साथ कदम नहीं उठाता । इसी तरह की गृह मंत्रालय की यदि स्थिति रही और इस केन्द्रीय सरकार पर मुख्य मंत्री इसी तरह से हावी बने रहे तो मैं समझता हूं कि गृह मंत्रालय हो या कोई और मंत्रालय हो, देश के लिये उतना उत्तरदायी नहीं हो सकेगा, जितना उसे अपने उत्तरदायित्व का पालन करना चाहिये । मुझे विश्वास है कि इन बातों पर आप और भी गहराई के साथ विचार करेंगे ।

---

18.04 hrs.

## *INTER-STATE RIVER WATER DISPUTES

**Mr. Deputy-Speaker:** Half-an-hour discussion. There are some more speakers who want to speak on the Demands. After the half-an-hour discussion is over, if the Members want to remain, and quorum is there, we can go on up to 7 O'Clock.

**Shri Sivamurthi Swamy** (Koppal): I am obliged to raise this half an hour discussion of inter-State water

*Half-An-Hour Discussion.

disputes. I would refer to the reply of the Minister of Irrigation and Power on 3rd March, 1966 to Question No. 339 in which he has said that there is no specific formula for the settlement of inter-State river disputes.

**श्री ओंकार लाल बेरवा** (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में कोरम नहीं है ।

**18.05 hrs.**

[SHRI SHAM LAL SARAF *in the Chair*]

**Mr. Chairman:** The bell is ringing ....The bell has rung. There is no quorum. The House stands adjourned till 11 A.M. tomorrow.

**18.09 hrs.**

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, April 29, 1966/Vaisakha 9, 1888 (Saka).*

---

GMGIPND—LS II—445 (Ai) LS—23-7-66—970